...लय उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

मसल नं0 1/75/23 तारीख रजू..................

.... **बनाम** ....

~~बाबूलाल~~ ~~सुन्दरसिंह वगैरा~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.05.2023	वकिल वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वादी वकिल श्री रामजीलाल शर्मा एड0 ने उपस्थिति होकर पेश किया। कार्यालय रिर्पोट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन रजि0 डाक से तलब होकर। पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादीगण दिनांक 30.05.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) ज0	
30/5/23	...कुमार केवलेन्द्र उप0/P.O. ... ... पत्रावली दिनांक 21/8/23 को पेश हो।	

18/9/23	उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 21/8/23 की पालना में पत्रा. ली वास्ते [illegible] दिनांक 21/9/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
21/9/23	पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना-पत्र 07 R 11 C.P.C. पर बहस नहीं हो सकी... वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 5/10/23 को पेश हो SDM उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०
5/10/23	पक्षकारान उपस्थित समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया गया पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9/10/23 को पेश हो SDM उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०
9/10/23	पक्षकारान उपस्थित। अतः अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र 07 R 11 उठाये गये बिन्दुओं को साबित करने में असफल रहा है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 07 R 11 C.P.C. स्वीकार कर दावा वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली में [illegible] है। निर्णय पृथक से लिखाया, जाकर हस्ता० कि० किया गया। पत्रावली जिल्द बन्दी होकर [illegible] हो। SDM उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारीकठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी–सुनील कुमार झिंगोनिया आर ए एस

प्रकरण संख्या 1/75/2023

बाबूलाल बनाम सुन्दरसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0

उपस्थित–श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट–अधिवक्ता वादी

श्री घनश्याम भार्मा एडवोकेट– अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1–2

आदेश दिनांक 09.10.2023

प्रतिवादी सं0 1–2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने आराजी खसरा नम्बर 166, 167, 168, 172, 173, 174 वाके ग्राम रेटी तहसील कठूमर वावत दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी का अदालत हाजा में पेश किया है जिसमें वादी ने गजेन्द्र पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी बडका जो कि रिकार्डेड खातेदार है को तकसीम के दावा में पक्षकार नहीं बनाया है जिस कारण दावा वादी नोन जोइण्डर ऑफ नेसेसरीज पार्टीज की तारीफ में आने से खारिज किये जाने योग्य है तथा गजराज पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी बडका जिसको वादी ने दाव हाजा में प्रतिवादी सं0 3 के रूप में पक्षकार बनाया है जिसकी मृत्य दावा दायरी से पूर्व दिनांक 22.06.2022 को हो गयी है मृतक व्यक्ति के विरूद्व दावा पेश किया गया है जो दावा वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जावें

प्रार्थना पत्र की नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी ने प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का जवाव पेश कर कथन किया कि राजेन्द्र पुत्र भगवानसिंह का नाम वाद पत्र में दर्ज करने से रह गया है जो कि लिपिकीय भूल है तथा गजराज पुत्र हरचन्द जाति जाट दावा दायरी से पूर्व फौत हो चुका हे दावे में उसके वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1–2 ने अपनी वहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि वादी ने दावा मे रिकार्डेड खातेदार गजेन्द्रसिंह को पक्षकार नही बनाया है तथा मृतक खातेदार गजराजसिंह के विरूद्व दावा पेश किया गया है इस वजह से दावा वादी कानून से बाधित होने से खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण अपने कथनों की पुश्टि में कानूनी नजीर RRT 2017(2) पेज संख्या 1074 RRT 2012 (1) पेज 189 RRT 2019 (2) पेज 958 RRT 2010 (1) पेज 72 RRT 2022 (2) पेज 1203 की छाया प्रति पेश की है जो संलग्न पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता ने अधिवक्ता वादीने वहस करते हुये अपनी वहस में कथन किया कि खातेदार राजेन्द्र भूल से पक्षकार बनने से रह गया है तथा मृतक गजराजसिंह के वारिसान रेकार्ड पर ले लिये गये है इस वजह से प्रतिवादी सं0 1–2 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने कथनों की पुश्टि में कानूनी नजीर RRT 2010(2) पेज संख्या 1146,RRT2011 (1) पेज 98,RRT2010 (1) पेज 89RRT 2012 (1) पेज 198 की छाया प्रति पेश की है जो संलग्न पत्रावली है।

हमने प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र वादी के जवाव प्रार्थना पत्र व पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया।

आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र निम्न तीन विन्दुओं पर पर तय किया जावेगा।

1. जहां वाद–हेतुक (Cause of Action)प्रकट नहीं करता हो।
2- जहां वाद उचित कोर्ट फीस ;Court Fee) प्रकट नहीं करता हो।
3. जहां वाद विधि से बर्जित हो।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रार्थना में पक्षकारान के मध्य वाद हेतुक व कोर्ट फीस के विन्दु पर कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी सं0 1–2 ने अपने प्रार्थना पत्र व अपनी वहस में कथन किया कि वादी ने आवश्यक पक्षकार गजेन्द्रसिंह जो कि रिकार्डेड खातेदार है को दावा हाजा में पक्षकार नहीं बनाया है तथा मृतक गजराजसिंह को दावा हाजा में पक्षकार बनाकर दावा पेश किया है इस वजह से दावा वादी कानूनन से बाधित है जो

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के जवाव व अपनी वहस के दौरान किये गये कथनों में राजकुमारी वेवा गजेन्द्र जाट वारिस नहीं है और स्वीकार किया है कि गजराज पुत्र हरचन्द दावा दायरी से पूर्व फौत हो चुका है तथा गजेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह रेकार्डेड खातेदार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया है तथा जवाव प्रार्थना पत्र में राजेन्द्र को जोडने वावत उल्लेख किया है जो कि ना तो खातेदार है और ना ही वारिस है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा पेश की गयी कानूनी नजीर से यह स्पश्ट है कि पार्टीशियन के दावे में सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है तथा मृत व्यक्ति के विरूद्व वाद पेश नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होती है। अतः अधिवक्ता प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र में उठाये गये विन्दुओं को सावित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण सावित होने से स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 09.10.2023 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार झिंगोनिया
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)